समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला खनन कार्यालय)

लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

विज्ञापन संख्या....01......./वर्ष..2017

नवगठित नयी बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 की धारा 45 के आलोक में सभी इच्छुक/फर्मों से लघु खनिज के व्यापार के खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक– 08.11.2017 के 05 बजे अपराहन तक जिला खनन कार्यालय, मधुबनी में विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

सभी खुदरा अनुज्ञप्ति 3 वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि के लिए 1,00,000/– (एक लाख) रूपये की बैंक गारंटी विहित प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञप्ति शुल्क प्रतिवर्ष 10,000/– रूपये की दर से कुल 30,000/– (तीस हजार) रूपये प्रारंभ में ही जमा करना होगा।

अनुज्ञप्ति हेतु अर्हता एवं अन्य शर्ते निम्नवत होंगी–

i. अनुज्ञप्तिधारी को जिस क्षेत्र में वह अनुज्ञप्ति चाहता है, उस क्षेत्र में एक कार्यालय होना तथा कम्प्युटर, प्रिंटर एवं कर्मियों की सुविधा होना अनिवार्य है।

ii. अनुज्ञप्तिधारी के पास कम से कम 05 वाहनों को खड़ा करने की भूमि होनी चाहिए। लघु खनिज से लदे ट्रक किसी भी हालत में सरकारी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर नही रखे जाऐंगे। यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास स्वयं की भूमि नही है तो वह किराये पर यह व्यवस्था कर सकते हैं। जमीन मालिक के साथ एकरारनामा संलग्न करना होगा।

iii. अनुज्ञप्तिधारी को PAN CARD Holder तथा Adhar Card होना अनिवार्य है।

iv. अनुज्ञप्तिधारी को Police Verification Report भी देना अनिवार्य होगा।

v. खुदरा अनुज्ञप्ति मिलने पर GST Registration अनिवार्य होगा।

vi. अनुज्ञप्तिधारी को सभी व्यापार E-Challan के माध्यम से करना होगा।

vii. नियम 53 के तहत अनुज्ञप्तिधारी के पास यदि ट्रक है तो उनमें Digital Lock तथा GPS लगाना अनिवार्य होगा।

viii. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी वाहनधारी अथवा ट्रैक्टरधारी के साथ व्यापार नही करेंगे जिन्होंने Digital Lock तथा GPS नही लगवाया है।

ix. अनुज्ञप्तिधारी अपने सभी Return ससमय जिला खनन पदाधिकारी तथा विभाग के समक्ष दायर करेंगे।

x. अनुज्ञप्तिधारी को खनिज नियमावली, 2017 के नियम 74 के तहत मात्र एक ही खाता खोलना है एवं इस अनुज्ञप्ति संबंधी समस्त व्यापार उसी खाते के माध्यम से करना होगा।

1. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के देय कमीशन :– सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को बिहार राज्य खनन निगम द्वारा लघु खनिज की बिक्री का कुल मूल्य (Ex Go Down of BSMC) पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा तय कमीशन देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा जिला के लिए तय अधिकतम परिवहन दर के बराबर या नीचे परिवहन खर्च भी प्रति किलोमीटर की दर से देय होगा।

इच्छुक/फर्म कार्यालय दिवस पर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराहन 04 बजे तक लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का विहित प्रपत्र एवं बैंक गारंटी का विहित प्रपत्र जिला खनन कार्यालय, मधुबनी से प्राप्त कर सकते हैं।

यह सूचना जिला के वेबसाईट **www.madhubani.bih.nic.in** पर भी देखी जा सकती है।

18/10/17

समाहर्त्ता, मधुबनी।